FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (…

ओमी देवी बनाम देमी सिंह

नं. 139/2017 सन

किस्म मुकदमा [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
23-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय [illegible] उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में [illegible] । पत्रावली [illegible] दिनांक 27-3-23 [illegible] हो। (हस्ताक्षर)
27-3-23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादियागण अनुपस्थित। वकील वादियागण व पक्षकारान को रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादियागण व पक्षकारान में से कोई उपस्थित नहीं आये। वास्ते तारीख होने पत्रावली दिनांक 05-04-23 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
05.04.2023	दिनांक 27.03.2023 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीयागण मय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीयागण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर [illegible] नहीं आये है। अतः वकील वादी[illegible] एवं पक्षकारान की [illegible]स्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) 05/04/23 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 14:47:46 IST
Reason: SelfAttested